रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2008/कार्तिक 30, 1930
No. 615] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2008/KARTIKA 30, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 808(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय) नियम 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है :

(ख) "वार्षिक रिपोर्ट" से अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है :

(ग) "अपील अधिकरण" से अधिनियम की धारा 53क के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अभिप्रेत है :

(घ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है :

(ङ) "वर्ष" से ठीक अनुवर्ती वर्ष का 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(...) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना और प्रस्तुत किया जाना (1) आयोग, प्रत्येक वर्ष में अपने निष्पादित कार्यकलापों का सही और पूर्ण लेखा देते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में वर्ष में एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) आयोग, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से वार्षिक रिपोर्ट में किसी अन्य मद को भी सम्मिलित कर सकेगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में सम्मिलित नहीं है ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को उस वर्ष के समाप्त होने पर जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक एक सौ अस्सी दिन की आगामी अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

(4) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय के विषयों को, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

अनुसूची

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

(नियम 3(1) देखें)

अ. प्रस्तावना

(i) अध्यक्ष का कथन :

(ii) उद्देश्य :

(iii) महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

(iv) पुनर्विलोकन वर्ष :

(क) महत्वपूर्ण विनिश्चय:

(ख) विधायी कार्य :

(ग) पहुंच से बाहर का कार्यक्रम :

(v) क्षमता निर्माण :

(vi) अंतर्राष्ट्रीय ठहराव :

(vii) अतिसक्रिय सेक्टर :

(viii) निम्नलिखित पर प्रभाव :

(क) उपभोक्ता :

(ख) अर्थव्यवस्था:

आ. **आयोग द्वारा आदेशित अन्वेषण और जांच**

(1) अधिनियम की धारा 3, धारा 4 और धारा 42 के संबंध में अन्वेषण और जांच ।

प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्वेषणों और जांचों पर आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से की गई जांचों और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों (दोनों व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रवर्ग और संयुक्त रूप से सभी प्रवर्गों के लिए) से प्राप्त निर्देशों के संबंध में सारणीगत विवरण सहित संक्षिप्त वर्णन :

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या :

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या :

(iii) मामलों की कुल संख्या :

(iv) उन मामलों की संख्या जिनमें प्रथम दृष्टया उल्लंघन का पता चला है :

(v) उन मामलों की संख्या जिनमें कोई प्रथम दृष्टया उल्लंघन का पता नहीं चला है :

(vi) अन्वेषण के लिए आदेश किए गए प्रथम दृष्टया मामलों के संबंध में प्राप्त अन्वेषण रिपोर्टें :

(vii) की गई जांचें :

(2) महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषण और जांच ।

महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषणो/जांचों के सारणीगत कथनों सहित संक्षिप्त विवरण ।

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या :

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या :

(iii) मामलों की कुल संख्या :

(iv) वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या :

इ. **आयोग द्वारा पारित आदेश :**

आयोग द्वारा पृथक रूप से पारित आदेशों का संक्षिप्त विवरण जहां कोई अपराध नहीं बनता है, और यदि अपराध साबित हो जाता है तो पारित किए गए आदेशों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उस धारा को उपदर्शित करते हुए जिसके अधीन आदेश पारित किया जाता है, सारणीगत विवरण सहित प्रवर्गवार संक्षिप्त विवरण तथा आदेशों की संक्षिप्त विशिष्टयां ।

ई **आयोग के आदेशों का निष्पादन और शास्तियां :**

(क) धन-संबंधी शास्तियां

(i) धारा 27, धारा 42, धारा 43, धारा 43क, धारा 44 और धारा 45 (पृथक रूप से और संयुक्त रूप से) के अधीन उद्गृहीत शास्ति की वसूली के संबंध में ब्यौरे :

(ii) कुल मामलो की संख्या और उद्‌गृहीत धन-संबंधी शास्तियों की कुल रकम :

(iii) धारा 39(2) पर कार्रवाई किए बिना वसूल की गई कुल रकम :

(iv) धारा 39(2) के अधीन आय-कर के बकाया के रूप में संग्रहण के लिए आय-कर प्राधिकारियों को निर्दिष्ट मामलों की कुल संख्या और उनकी रकम ;

(v) मामलों की कुल संख्या और आयकर के बकाया के रूप में आय-कर प्राधिकारियों द्वारा उनमें संग्रहीत रकम :

(ख) धारा 42 के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली को निर्दिष्ट मामले

(i) धारा 42 के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली को निर्दिष्ट मामलों के ब्यौरे:

(ii) वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या :

(iii) वर्ष के दौरान किए गए निर्देशों की संख्या :

(iv)मामलों की कुल संख्या:

(v) ऊपर (i) में से निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या:

(vi) ऊपर (ii) में से निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या:

(vii) वर्ष के दौरान निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या:

(viii) वर्ष के अंत में लंबित निर्देशों की संख्या:

(ग) धारा 46 के अधीन कमतर शास्तियों का अधिरोपण:

(i) वे मामले जिनमें धारा 46 के अधीन कमतर शास्ति अधिरोपित की गई है:

(ii) उन मामलों की संख्या जिनमें कमतर शास्ति अधिरोपित की गई है:.

(iii) उन व्यक्तियों या उद्यमों की संख्या जिनपर कमतर शास्ति अधिरोपित की गई है:

(iv) उन व्यक्तियों की संख्या जिनको प्रत्येक मामले में संपूर्ण रियायत या आंशिक रियायत दी गई है:

उ. अपीलें

(1) (i) वर्ष में आयोग के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपीलों की संख्या:

(ii) वर्ष के प्रारंभ में लंबित अपीलों की संख्या:

(iii) वर्ष के दौरान फाइल की गई अपीलें:

(iv) योग:

(2) अपील अधिकरण द्वारा अनुज्ञात की गई अपीलों की संख्या:

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित अपीलों से :

(ii) वर्ष के दौरान फाइल की गई अपीलों से:

(iii) योग:

(3) अपील अधिकरण द्वारा अननुज्ञात अपीलों की संख्या:

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित अपीलों से :

(ii) वर्ष के दौरान फाइल की गई अपीलों से:

(iii) योग:

(4) अपील अधिकरण द्वारा आंशिक रूप से अनुज्ञात अपीलों की संख्या:

(5) अपील अधिकरण द्वारा अनुज्ञात अपीलों के संबंध में संक्षिप्त प्रलेख :

ऊ. संयोजनों की बाबत प्राप्त मामलें

आयोग द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त अनुरोधों के सारणीबद्ध विवरण और उस पर की गई कार्रवाई सहित संक्षिप्त विवरण

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्यां :

(ii) वर्ष के दौरान संयोजन / समामेलन अधिसूचनाओं की संख्यां :

(iii) वर्ष के अंत में विचाराधीन संयोजन/ समामेलन अधिसूचनाओं की कुल संख्यां

(iv) आयोग द्वारा अनुमोदित संयोजनों की संख्यां :

(क) प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर

(ख) इकतीस से साठ दिनों से

(ग) ईकसठ से एक सौ बीस दिनों से

(घ) एक सौ इक्कीस से दौ सौ दिनों से ।

(v) जांच के लिए आदेशित संयोजन/समामेलन अधिसूचनाओं की संख्यां :

(vi) 210 दिनों के भीतर न निपटाई गई, उनके संक्षिप्त कारणों सहित तथा अनुमोदित समझे गए संयोजनों सहित संयोजन/समामेलन अधिसूचनाओं की संख्यां

(vii) आयोग द्वारा अनुमोदित न किए गए उनके कारणों सहित संयोजनों की संख्या

ऋ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्देश

(1) अधिनियम की धारा 49(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार से निर्देशों के संबंध में एक सारणीगत विवरण :

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित निर्देशों की संख्या :

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त निर्देशों की संख्या:

(iii) योग:

(iv) (i) में से निपटाए गए निर्देशों की संख्या:

(v)(ii) में से निपटाए गए निर्देशों की संख्या:

(vi) वर्ष के दौरान निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या:

(vii) वर्ष के अंत में लंबित निर्देशों की संख्या:

(viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या अस्वीकृत की गई आयोग की रायों के संबंध में संक्षिप्त प्रलेख:

(2) निम्नलिखित फार्मेट में अधिनियम की धारा 49(1) के अधीन राज्य सरकारों से निर्देश (उपाबंध में राज्य सरकार वार ब्यौरे दिए जाएं) :

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित निर्देशों की संख्या:

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त निर्देशों की संख्या:

(iii) योग:

(iv) (i) में से निपटाए गए निर्देशों की संख्या:

(v)(ii) में से निपटाए गए निर्देशों की संख्या:

(vi) वर्ष के दौरान निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या:

(vii) वर्ष के अंत में लंबित निर्देशों की संख्या:

राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई या अस्वीकृत की गई आयोग की रायों के संबंध में संक्षिप्त प्रलेख:

(3) अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्राप्त केन्द्रीय सरकार के आदेश:

(4) अधिनियम की धारा 55 के अधीन केन्द्रीय सरकार के निदेश और उन पर की गई कार्रवाई:

ए. कानूनी प्राधिकारियों से और उनको निर्देश

अधिनियम की धारा 21 के अधीन कानूनी प्राधिकारियों से निर्देश के सारणीगत विवरण सहित प्राप्त किए गए निर्देशों और किए गए निर्देशों के संबंध में संक्षिप्त वर्णन और धारा 21क के अधीन कानूनी प्राधिकारियों को पृथक रूप से निर्देश जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :

(i) वर्ष के प्रारंभ में लंबित निर्देशों की संख्या:

(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त निर्देशों की संख्या:

(iii) योग:

(iv) (i) में से निपटाए गए निर्देशों की संख्या:

(v)(ii) में से निपटाए गए निर्देशों की संख्या:

(vi) वर्ष के दौरान निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या:

(vii) वर्ष के अंत में लंबित निर्देशों की संख्या:

ऐ. प्रतिस्पर्धा पक्ष समर्थन

धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन किए गए क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण:

(i) प्रतिस्पर्धा पक्ष समर्थन पर लोक/विशेषज्ञों/ नीतिनिर्माताओं/विनियामक निकायों के साथ तथा प्रतिस्पर्धा मुद्दों के लिए जागृति का सृजन करने के लिए कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां और अन्य विचार विमर्श :

(ii) प्रतिस्पर्धा पक्ष समर्थन तथा प्रतिस्पर्धा मुद्दों की जागृति सृजित करने के लिए प्रकाशित पत्र और अध्ययन :

(iii) प्रतिस्पर्धा विनियामक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पर्णधारकों की क्षमता निर्माण:

(iv) सेक्टोरल/विनियामक प्रभाव निर्धारण से संबंधित प्रतिस्पर्धा : आयोग द्वारा चलाया जाने वाला विपणन अध्ययन और अनुसंधान परियोजनाएं

(v) आयोग के प्रकाशित/ वैबसाइट पर रखे गए परामर्शी कागज पत्र

(vi) तैयार किए गए और जांच किए गए विशलेषणात्मक कागज पत्र :

(vii) अन्य

ओ. प्रशासन और स्थापन संबंधी विषय

(1) सचिव की रिपोर्ट

(2) आयोग की संरचना:

(3) आयोग की बैठकें :

(4) वर्ष में नियुक्त किए गए अध्यक्ष या सदस्यों और उन सदस्यों के, जिन्होंने पद त्याग दिया है, वर्ष में पद त्यागने के कारणों सहित ब्यौरे:

(5) संगठनात्मक संरचना:

(6) सरकार की आरक्षण नीति के अधीन विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए वैसे ही ब्यौरे देते हुए एक उप-सारणी सहित वर्ष में आयोग में कार्मिक, प्रवर्गवार, स्वीकृत पद, भरे गए पद, रिक्तियां, की गई नियुक्तियों की सूचना वाला एक सारणीगत विवरण (सचिव के कार्यालय और महानिदेशक के कार्यालय के लिए पृथक रूप से) :

(7) धारा 17(3) के अधीन मियोजित विशेषज्ञ और वृत्तिक और धारा 36(3) के अधीन बुलाए गए विशेषज्ञ

(8) अधिनियम की धारा 13 के अधीन अध्यक्ष द्वारा आयोग के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को वर्ष में प्रत्यायोजित की गई शक्ति के ब्यौरे :

(9) आयोग द्वारा दिए गए नियोजन के नियमित निबंधनों और शर्तों से परे कर्मचारी कल्याण उपाय, यदि कोई हो:

औ.. बजट और लेखे

(1) विस्तृत प्रवर्गों के अधीन बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन :

(2) अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा निधि में विस्तृत प्रवर्गों के अधीन प्राप्तियां :

(3) विस्तृत प्रवर्गों के अधीन वास्तविक व्यय :

(4) अधीनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिस्पर्धा निधि में उपलब्ध अतिशेष :

(5) कोई अन्य जानकारी :

अं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(1) विदेशों के अभिकरणों के साथ आयोग द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनों या ठहराव के संबंध में संक्षिप्त टिप्पण :

(2) आयोग द्वारा हाथ में ली गई विदेशी परियोजनाओं के संबंध में संक्षिप्त टिप्पण

(3) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यताओं के ब्यौरे

(4) विदेशी सरकारों, विदेशी प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों, बहुउद्देशीय संस्थाओं, अन्य से आयोग द्वारा प्राप्त किए गए अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के ब्यौरे जिसके अंतर्गत प्रत्यायोजन और उसके निष्कर्ष के प्रयोजन भी हैं :

(5) प्रयोजन और निष्कर्ष को उपदर्शित करते हुए आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों या पदधारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरे:

(6) अन्य

अः क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण के लिए की गई पहलों का संक्षिप्त विवरण जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है:

(i) ऐसे कार्यक्रमों के ब्यौरों सहित जैसे अंतर्वस्तु, कालावधि और संकाय आंतरिक प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (प्रवर्गवार और श्रेणीवार) :

(ii) (भारत के भीतर और भारत के बाहर पृथक रूप से) बाह्य संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (प्रवर्गवार और श्रेणीवार) संस्थाओं के नामों के ब्यौरे और

(31)

कालावधि सहित यह भी विनिर्दिष्ट करना कि प्रशिक्षण विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ इंटर्नशिप, आदान-प्रदान कार्यक्रमों, अध्येताओं, अध्ययन छुट्टी, विशेष ठहरावों के अधीन था :

(iii) क्षमता निमार्ण पहलों पर व्यय :

अ : कार्यरत कार्यक्रम

[फा. सं. 5/21/2003-आईजीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2008

G.S.R. 808(E).—In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (2) of section 53 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Form and Time of Preparation of Annual Report) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these rules, unless context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) "Annual Report" means the annual report prepared by the Commission under sub-section (2) of section 53 of the Act;

(c) "Appellate Tribunal" means the Competition Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 53A of the Act;

(d) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(e) "Year" means the financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the year immediately following.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

4613 GI/08-2

3. Preparation and furnishing of the Annual Report.– (1) The Commission shall prepare once in every year an Annual Report in the form specified in the schedule, giving a true and full account of its activities performed in the year.

(2) The Commission may also include in the Annual Report any other item, not included in the form specified in the schedule, with the prior permission of the Central Government.

(3) The Commission, shall forward the annual report to the Central Government within a period of one hundred eighty days immediately following the close of the year for which it has been prepared.

(4) The matters relating to form and time of preparation of Annual Report, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

Schedule
Form of the Annual Report
[see rule 3(1)]

A. Introduction

(i) Chairman's statement:
(ii) Objectives:
(iii) Important achievements:
(iv) The year in review:
  (a) Landmark decisions:
  (b) Legislative work:
  (c) Outreach programme:
(v) Capacity building:
(vi) International engagements:
(vii) Most active sector:
(viii) Impact on:
  (a) Consumers:
  (b) Economy:

B. Investigations and inquiries ordered by the Commission

(1) Investigation and inquiry relating to sections 3, 4 and 42 of the Act.

A brief narrative alongwith a tabular statement on investigations and inquiries based on information received, suo motu inquiries taken up by the Commission and references received from Central Government, State Government or local authorities (both individually for each category and combined for all categories):

(i) Number of matters pending at the beginning of the year:

(ii) Number of matters received during the year:

(iii) Total number of matters:

(iv) Number of matters in which prima facie violations noticed:

(v) Number of matters in which no prima facie violations noticed:

(vi) Investigation reports received on prima facie matters ordered for investigation:

(vii) Inquiries conducted:

(2) Investigations and enquiries undertaken by Director General

A brief narrative alongwith a tabular statement of investigations/enquiries undertaken by the Director General.

(i) Number of matters pending at the beginning of the year:

(ii) Number of matters received during the year:

(iii) Total number of matters:

(iv) Number of matters pending at the end of the year:

C. Orders passed by the Commission

A brief narrative of the orders passed by the Commission separately for where no offence is made out, and in case offence is proved, category-wise for each category of orders passed alongwith a tabular statement indicating the section under which the order was passed and brief particulars of the orders.

D. Execution of orders of Commission and penalties

(a) Monetary penalties

(i) Details on recovery of penalty levied under sections 27, 42, 43, 43A, 44 and 45 (separately and combined):

(ii) Total number of matters and total amount of monetary penalties levied:

(iii) Total amount realized without resorting to section 39 (2):

(iv) Total number of matters and amount therein referred to Income-tax authorities for collection as arrears of Income-tax under section 39 (2):

(v) Total number of matters and amount therein collected by Income-tax authorities as arrears of Income-tax:

(b) Matters referred to Chief Metropolitan Magistrate, New Delhi under section 42

(i) Details of matters referred to Chief Metropolitan Magistrate, Delhi under section 42:

(ii) Number of matters pending at the beginning of the year:

(iii) Number of references made during the year:

(iv) Total number of matters:

(v) Number of references disposed of out of (i) above:

(vi) Number of references disposed of out of (ii) above:

(vii) Total number of references disposed of during the year:

(viii) Number of references pending at the end of the year:

(c) Imposition of lesser penalties under section 46

(i) Matters in which lesser penalty has been imposed under section 46:

(ii) Number of matters in which lesser penalty imposed:

(iii) Number of persons or enterprises on whom lesser penalty imposed:

(iv) Number of persons granted full leniency and partial leniency in each matter:

E. Appeals

(1) (i) Number of appeals filed against Commission's order in the year:

(ii) Number of appeals pending at the beginning of the year:

(iii) Appeals filed during the year:

(iv) Total:

(2) Number of appeals allowed by the Appellate Tribunal:

(i) From appeals pending at the beginning of the year:

(ii) From appeals filed during the year:

(iii) Total:

(3) Number of appeals disallowed by Appellate Tribunal:

(i) From appeals pending at the beginning of the year:

(ii) From appeals filed during the year:

(iii) Total:

(4) Number of appeals partially allowed by the Appellate Tribunal:

(5) Brief write-up on the appeals allowed by the Appellate Tribunal:

F. Matters received regarding combinations

A brief narrative alongwith a tabular statement of requests received under sub-section (2) of section 6 and action taken thereon by the Commission:

(i) Number of matters pending at the beginning of the year:

(ii) Number of combination/merger notifications received during the year:

(iii) Total number of combinations/merger notifications under consideration at the end of the year:

(iv) Number of combinations approved by the Commission:

(a) within 30 days of receipt
(b) from 31 to 60 days
(c) from 61 to 120 days
(d) from 121 to 210 days

(v) Number of combination/merger notifications ordered for enquiry:

(vi) Number of combination/merger notifications not disposed of within 210 days, with brief reasons therefor, and combinations deemed to have been approved:

(vii) Number of combinations not approved by the Commission with brief reasons therefor:

G. References by Central Government or State Governments

(1) A tabular statement on references from Central Government under section 49(1) of the Act:

(i) Number of references pending at the beginning of the year:

(ii) Number of references received during the year:

(iii) Total :

(iv) Number of references disposed of out of (i):

(v) Number of references disposed of out of (ii):

(vi) Total number of references disposed of during the year:

(vii) Number of references pending at the end of the year:

(viii) Brief write-up on opinions of the Commission accepted or not accepted by the Central Government

(2) References from State Governments (State-wise details to be given in annex) under section 49(1) of the Act, in the following format:

(i) Number of references pending at the beginning of the year:

(ii) Number of references received during the year:

(iii) Total :

(iv) Number of references disposed of out of (i):

(v) Number of references disposed of out of (ii):

(vi) Total number of references disposed of during the year:

(vii) Number of references pending at the end of the year:

Brief write-up on opinions of Commission accepted or not accepted by State Governments

(3) Orders of Central Government received under section 54 of the Act.

(4) Directions of Central Government under section 55 of the Act, and the action taken thereon.

H. References from and to the statutory authorities

A brief narrative on the references received and reference made along with a tabular statement of reference from Statutory Authorities under section 21 of the Act and reference to statutory authorities under section 21A separately including:

(i) Number of references pending at the beginning of the year:

(ii) Number of references received during the year:

(iii) Total:

(iv) Number of references disposed of out of (i):

(v) Number of references disposed of out of (ii):

(vi) Total number of references disposed of during the year:

(vii) Number of references pending at the end of the year:

I. Competition advocacy

A brief narrative of activities undertaken under sub-section (3) of Section 49:

(i) Workshops, seminars and other interactions with public/experts/policy makers/regulatory bodies on Competition Advocacy and for creating awareness of competition issues:

(ii) Papers and studies published for competition advocacy and for creating awareness of competition issues:

(iii) Capacity building of stakeholders to participate in competition regulatory process:

(iv) Competition related Sectoral/Regulatory impact assessment; Market studies and research projects carried out by the Commission:

(v) Consultation papers published/placed on website of the Commission:

(vi) Analytical papers prepared and examined:

(vii) Others

3. Administration and establishment matters

(1) Report of the Secretary:

(2) Composition of the Commission:

(3) Meetings of the Commission:

(4) Details of Chairperson or Members appointed in the year and Members who demitted office, along with reasons for demitting office, in the year:

(5) Organizational structure:

(6) A tabular statement containing information on Personnel in Commission, category-wise: Sanctioned posts, posts filled up, vacancies, appointments made in the year (separately for Secretary's office and Director General's office), along with a sub-table giving similar details for the posts reserved for various categories under the reservation policy of the Government:

(7) Experts and professionals engaged under section 17(3) and experts called upon under section 36(3):

(8) Details of delegation of power made in the year by Chairperson to any other Member or the officer of the Commission under section 13 of the Act:

(9) Employee welfare measure, if any, beyond the regular terms and conditions of employment, undertaken by the Commission:

K. Budget and accounts

(1) Budget estimates and revised estimates, under broad categories:

(2) Receipts, under broad categories, in the Competition Fund established under sub-section (1) of section 51 of the Act:

(3) Actual expenditures under broad categories:

(4) Balance available in the Competition Fund established under sub-section (1) of section 51 of the Act:

(5) Any other information:

L. International co-operation

(1) Brief notes on Memorandums or arrangements signed by the Commission with agencies of foreign countries:

(2) Brief notes on overseas projects undertaken by the Commission:

(3) Details of memberships of international organizations:

(4) Details of international delegations received by the Commission: from Foreign Governments, Foreign Competition Authorities, Multilateral Institutions, others including the purpose of the delegation and the outcome:

(5) Foreign visits undertaken by Commission's Chairperson or Members or Officials indicating the purpose and outcome:

(6) Others

M. Capacity Building

A brief narrative of capacity building initiatives undertaken including:

(i) Number of employees (category-wise and grade-wise) trained in-house with details of such programmes like content, duration and faculty:

(ii) Number of employees (category-wise and grade-wise) trained by outside institutions (separately within India and outside India) with details of names of institutions and duration also to specify whether training was under internship, exchange programmes, fellowships, study leave, special arrangements with foreign universities/institutions:

(iii) Expenditure on capacity building initiatives:

N. Ongoing programmes

[F. No. 5/21/2003-IGC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.